

## राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।

संख्या— 1794 / राज्य आयोग अनु—2 / 780 / 2007 देहरादून दिनांक 20 सितम्बर, 2008

### अधिसूचना

सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की अधिसूचना संख्या 778/xii(1)/08/86(4)/2008 टी0सी0-1 दिनांक 19 सितम्बर 2008 के क्रम में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2008 (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में राज्य के 12 (बारह) जनपदों की कतिपय ग्राम पंचायतों के सदस्यों तथा प्रधानों के स्थानों/पदों के निर्वाचन प्रत्यादिष्ट हो जाने के कारण, नामांकन के दौरान विभिन्न पदों/स्थानों पर नामांकन न होने के कारण अथवा अन्य कारणों से रिक्त रह गये ऐसे सभी रिक्त स्थानों/पदों पर, जो मात्र न्यायालय के आदेश से बाधित न हो, अतिशीघ्र निर्वाचन कराया जाना आवश्यक है। अतः मैं बिपिन चन्द्र चन्दोला, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड, भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-ट में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्वारा निर्देश देता हूँ कि ऐसे सभी रिक्त प्रधान ग्राम पंचायत के पदों तथा ग्राम पंचायतों के सदस्य के पदों/स्थानों का निर्वाचन निम्नानुसार विनिर्दिष्ट समय-सारणी के अनुसार कराये जायेंगे:—

नामांकन की तिथियां व समय	नामांकन पत्रों की जांच की तिथियां व समय	नाम वापसी की तिथि व समय	निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि व समय	मतदान की तिथि व समय	मतगणना की तिथि व समय
1	2	3	4	5	6
29 सितम्बर 2008 तथा 30 सितम्बर 2008 तक (प्रातः 10.00 से अपराह्नः16.00 बजे तक )	01 अक्टूबर 2008 (प्रातः 10.00बजे से कार्य समाप्ति तक )	03 अक्टूबर 2008 (प्रातः 10.00 बजे से अपराह्न 16.00 बजे तक)	04 अक्टूबर 2008 (प्रातः 10.00 बजे से कार्य समाप्ति तक)	18 अक्टूबर 2008 (प्रातः 07.00 बजे से 1700 बजे तक)	22 अक्टूबर 2008 को (प्रातः 8.00 बजे से कार्यसमाप्ति तक )

जिला मजिस्ट्रेट /जिला निर्वाचन अधिकारी ग्राम पंचायतों के उक्त रिक्त पदों/स्थानों का पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से सूचना दिनांक 22 सितम्बर 2008 को जारी करेंगे और उसकी प्रति सरकारी गजट मे प्रकाशन के लिये भेजेंगे तथा उसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को तत्काल प्रेषित करेंगे। जिला मजिस्ट्रेट /जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों मे व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जायेगा और ग्राम पंचायतों में मुनादी द्वारा भी सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत /जिला पंचायत/तहसील कार्यालय और जिलाधिकारी कार्यालय के सूचना पट्टों में यह कार्यक्रम प्रकाशित किये जायेंगे।

जिस स्थान/पद के लिए किसी उम्मीदवार की सामान्य निर्वाचन 2008 के दौरान मृत्यु हो जाने के कारण मतदान रद्द (प्रत्यादिष्ट) कर दिया गया हो तो, ऐसे उम्मीदवार के लिये जिनका नाम निर्देशन मतदान रद्द किये जाने के समय वैध रहा हो, पुनः नाम निर्देशन आवश्यक न होगा, तथा ऐसा व्यक्ति जिसने मतदान रद्द किये जाने के पूर्व नियम 70 के अधीन उम्मीदवारी से अपना नाम वापस लेने का नोटिस दिया हो, इस प्रकार से मतदान रद्द किये जाने के पश्चात नाम निर्देशित किये जाने के निमित पात्र न होगा।

इन निर्वाचन में वही निर्वाचन प्रक्रिया अपनायी जायेगी जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है। नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच करने व नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटन का कार्य क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर होगा और वही पर मतों की गणना की जायेगी तथा परिणाम भी घोषित किये जायेंगे।

ह0.

(बिपिन चन्द्र चन्दोला,)  
राज्य निर्वाचन आयुक्त,

क्रमश.....2

//2//

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को आयोग के पूर्व पत्र स0 1627 दिनांक 4.9.2008 के क्रम में सूचनार्थ ।
8. प्रमुख सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
9. प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
10. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
11. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचिन अधिकारी, उत्तराखण्ड। (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)
15. समस्त उप जिला निर्वाचिन अधिकारी, उत्तराखण्ड। (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)
16. समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड।  
(जनपद हरिद्वार को छोड़कर)
17. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तराखण्ड। (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)
18. समस्त सहायक जिला निर्वाचिन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड।  
(जनपद हरिद्वार को छोड़कर)
19. निदेशक, दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह कृपया अपने संचार माध्यमों द्वारा इसे प्रसारित कराने का कष्ट करें।
20. निदेशक, सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया इसे सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने तथा आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों को प्रसारण हेतु प्रेषित कराने का कष्ट करें।
21. समाचार सम्पादक, आकाशवाणी नजीबाबाद केन्द्र, नजीबाबाद।
22. निजी सचिव, पंचायती राज मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
23. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना को आगामी असाधारण गजट में तत्काल मुद्रित कराकर इस की 25(पच्चीस) प्रतियां आयोग के उपयोगार्थ/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें। कृपया ध्यान रहे कि यह अधिसूचना विधायी परिशिष्ट में नहीं छपेगी।
24. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
25. सूचना-पट, राज्य निर्वाचिन आयोग, उत्तराखण्ड।

ह०.

(बिपिन चन्द्र चन्दोला)  
राज्य निर्वाचिन आयुक्त,